

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-3/विविध-01-03/2024-

/स्वा0, पटना, दिनांक :

बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारियों को कार्यहित में अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार के साथ बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम-84 के तहत अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित कार्यालय का प्रभार (वित्तीय शक्ति सहित) दिया जाता है:-

| क्र० सं० | चिकित्सा पदाधिकारी का नाम/पदनाम                        | अतिरिक्त प्रभार के कार्यालय का नाम                        |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                      | 3                                                         |
| 1        | डा० मंजर आलम, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, किशनगंज | असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, किशनगंज |

- नियमित पदस्थापन होने के उपरान्त यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी ।
- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)  
सरकार के अवर सचिव

ई-मेल

ज्ञापांक:

प्रतिलिपि:

प्रतिलिपि:

प्रतिलिपि:

प्रतिलिपि:

प्रतिलिपि:

प्रतिलिपि:

प्रतिलिपि:

146 (3) /स्वा०, पटना, दिनांक : 12/03/25

महालेखाकार (ले० एव/ह०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/अवर सचिव वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना/सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

विभागीय प्रशाखा-2, 7, 9, 12, 17 एवं 18ए को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विभागीय पी०एम०यू०लिड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

MDM K 11/3/25  
सरकार के अवर सचिव